यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला सेनानायक (होम गार्डस), देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला सेनानायक (होम गार्डस), देहरादून के 06/2016 से 09/2020 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री. के.एस. चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद्र पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिहं पँवार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.10.2020 से 22.10.2020 तक श्री पी.के. गुप्ता वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-1

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा ललित थपलियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री मनोज कुमार पाल लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.06.2016 से 30.06.2016 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी जिसमें 02/2013 से 05/2016 तक के लेखाओं की जाँच की गयी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः देहरादून

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि.	बचत/स समर्पित	आधि.	बचत/समर्पित
2017-18	-	-	964.11	952.61	-	-	-	11.50	-	-
2018-19	-	-	1105.56	1059.22	-	-	-	46.34	-	-
2019-20	-	-	1228.38	1196.99	-	-	-	31.39	-	-

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थितिः लागू नहीं

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

सेनानायक
प्रधान सहायक
निरीक्षक
प्लाटून कमाडंर
बी.ओ.

(ii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला सेनानायक (होमगार्डस), देहरादून का आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला सेनानायक (होमगार्डस), देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। मार्च 2019 एवं मार्च 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II'अ'

शून्य

भाग दो ब

प्रस्तर 01- अनुमन्य मद के विपरीत ₹ 7.55 लाख अन्य मदों में व्यय किया जाना।

शासनादेश संख्या-136/XXXII(I)/2014 दिनांक 27 दिसम्बर 2017 के अनुसार मद 16 से विधिक सेवा, परामर्शदात्री सेवा, परीक्षाओं के संचालन के लिये परीक्षकों और अन्वेषणों आदि को देय पारिश्रमिक एवं संविदा पर नियुक्त कर्चारियों का भुगतान सम्मिलित है। जबकि मद 02 में इन कर्मचारियों और श्रमिकों की मजदूरी सम्मिलित है जिन्हें आकस्मिक व्यवस्था से भुगतान किया जाता है।
कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, जनपद-देहरादून के माह 05/2016 से 2020-21 (सितम्बर 2020 तक) के बाउचर अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा कार्यालय में संविदा में कार्यरत कर्मचारियों को भुगतान मद 16 के स्थान पर मद 02 से किया गया जो अनुमन्य नही है। ऐसे किये गये का विवरण निम्न हैः-

क्रम संख्या	भुगतान का विवरण	बिल संख्या	दिनांक	मद जिसमें व्यय किया गया	अनुमन्य मद	धनराशि
1	व्यवसायिक सेवाये	208	23.03.18	02	16	56,626
2	व्यवसायिक सेवाये	104	15.11.17	02	16	87,769
3	व्यवसायिक सेवाये	89	06.10.17	02	16	81,278
4	व्यवसायिक सेवाये	88	16.10.17	02	16	87,769
5	व्यवसायिक सेवाये	166	10.02.18	02	16	87,769
6	व्यवसायिक सेवाये	140	06.01.18	02	16	87,769
7	व्यवसायिक सेवाये	20	12.06.17	02	16	85,537
8	व्यवसायिक सेवाये	06	16.05.17	02	16	16,576
9	व्यवसायिक सेवाये	08	16.05.17	02	16	85,660
10	व्यवसायिक सेवाये	07	16.05.17	02	16	79,094
योग						**7,55,847**

इस प्रकार इकाई द्वारा निर्धारित मानक मद में आवंटित धनराशि को अन्य मानक मद में व्यय किया गया।
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष में व्यवसायिक सेवा में बजट अनुदान की अनुपलब्धता के कारण संविदा कर्मी को मानदेय का भुगतान 02 मजदूरी से किया गया था। विभाग के उत्तर में यह स्पष्ट है कि व्यवसायिक सेवा मद 16 में बजट अनुदान उपलब्ध न होने के कारण धनराशि को व्यय किया गया था। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।
अतः अनुमन्य मद के विपरीत ₹ 7.55 लाख अन्य मदों में व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01- निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण न किया जाना।

कार्यालय जिला सेनानायक देहरादून में स्टॉक एवं स्टोर से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2018 में निम्नलिखित वस्तुओं को निष्प्रयोज्य घोषित की गयी है परन्तु उसका निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है-

क्रम संख्या	**वस्तु का नाम**	**वस्तु की संख्या**
1	अलमारी	05
2	रिवोलिंग चियर	03
3	टिन बक्से	04
4	कुर्सी	28
5	ताले	12
6	फोल्डिंग पलंग	05
7	तिजोरी	01
8	टार्च	07
9	मेज/स्टूल	03
10	टाईप राईटर	01

उपर्युक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की कार्यवाही जल्दी की जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सामग्री का निस्तारण लम्बी अवधि से लंबित है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02- अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत SGHS अशंदान की कटौती कार्मिकों के वेतन से न किया जाना।

आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत संशोधित शासनादेश संख्या-(1) XXXVVIII-3-2020 दिनांक 04 मई 2020 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कर्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्यकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने हेतु निर्धारित दरों पर प्रतिमाह वेतन अशंदान नियमानुसार किया जायेगा।

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिको/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स ₹ 250/- प्रतिमाह।
2. वेतन लेवल 6 के राजकीय कार्मिको/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स ₹ 450/- प्रतिमाह।
3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिको/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स ₹ 650/- प्रतिमाह।
4. वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर राजकीय कार्मिको/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स ₹ 1000/- प्रतिमाह।

शासनादेश के अनुसार विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी/आहरण-वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरांत धनराशि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के खातें में e-transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जाये।

कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, जनपद-देहरादून के अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन से SGHS अंशदान की कोई भी कटौती नहीं की गई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया गया कि शासनादेशों के स्तर कार्यवाही लंबित है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि विभाग को शासनादेश निर्गत होने के माह से ही अशंदान की कटौती सुनिश्चित की जानी चाहिये थी। जिसका अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत SGHS अशंदान की कटौती वेतन से न किया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग -दो"अ"प्रस्तर संख्या	भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0
08/2016-17	**-**	प्रस्तर 1- त्रुटिपूर्ण आंकलन के कारण निरंतर 03 वर्षों में रु. 147.16 लाख अप्रयुक्त पाया जाना।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(शून्य)

भाग - V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला सेनानायक देहरादून के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

   सतत् अनियमितताएँ नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	डा. राहुल सचान	जिला सेनानायक	01.02.2013 से वर्तमान

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं एवं जिनका समाधान लेखा परीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हे नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी मे सम्मिलित कर एक प्रति जिला सेनानायक देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप-महालेखाकार/एएमजी-III कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-III